भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1233

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**ई-अदालत सुविधा की स्थापना**

**1233. श्री पी.एल.पुनिया :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश के सभी न्यायालयों के लिए ई-अदालत सुविधा की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पहल से मामलों के पारदर्शी और शीघ्र विचारण में किस प्रकार सहायता मिलेगी और क्या न्यायालयों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (घ) :** जी, हां । भारत सरकार, भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय के साथ मिलकर संपूर्ण देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (चरण-I, 2010-14 और चरण-II, 2015-19), जिसमें 1670 करोड़ रूपए (चरण-II) का कुल परिव्यय अन्तर्वलित है, कार्यान्वित कर रही है । सरकार द्वारा न्‍यायालयों की कार्य प्रणालियों में प्रोद्यागिकी के प्रयोग को बढावा देने के लिए उठाये जाने वाले कदम निम्‍न प्रकार है:

(i) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का चरण-I, 2011-15 के दौरान कार्यान्‍वयन किया जा रहा था जिसमें 639.41 करोड़ रूपए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए जारी किए गए थे । चरण-I की समाप्ति पर, 14249 जिला और अधीनस्थ न्यायालय, कार्यस्‍थलों के कंप्यूटरीकरण के कुल लक्ष्य में से, सभी 14249 न्यायालयों (100%) के कंप्यूटरीकरण के लिए तैयार किए गए थे, जिनमें से एलएएन 13643 न्यायालयों में संस्थापित किया गया था, 13436 न्यायालयों में हार्डवेयर प्रदान किया गया था और 13672 न्यायालयों में सॉफ्टवेयर संस्थापित किए गए थे । 14309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए थे और सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंध व्यवस्था पूरी की गई थी । 14000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यूबीयूएनटीयू-लाइनक्स प्रचालन प्रणाली का उपयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था और 4000 से अधिक न्यायालय कर्मचारिवृंद को प्रणाली प्रशासकों के रूप में मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) में प्रशिक्षित किया गया था । वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का 488 न्‍यायालय परिसरों तथा 342 तत्स्थानी कारागारों के बीच परिचालन किया गया था ।

(ii) परियोजना (2015-19) के चरण-II के अधीन, आज तक 1073.18 करोड़ रूपए 1670 करोड़ रूपए के वित्तीय परिव्यय के मुकाबले में जारी किए गए हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) और मानक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के संस्थापन की व्यवस्था के माध्यम से 16089 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया गया है ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **उच्च न्यायालय का नाम** | **कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या** |
|  | इलाहाबाद | 1733 |
|  | आन्ध्र प्रदेश | 1078 |
|  | मुम्बई | 2079 |
|  | कोलकाता | 772 |
|  | छत्तीसगढ़ | 340 |
|  | दिल्ली | 427 |
|  | गुवाहटी | 442 |
|  | गुजरात | 1108 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 118 |
|  | जबलपुर | 1203 |
|  | जम्मू-कश्मीर | 218 |
|  | झारखंड | 351 |
|  | जोधपुर | 978 |
|  | कर्नाटक | 897 |
|  | केरल | 486 |
|  | चेन्नई | 988 |
|  | ओडिशा | 509 |
|  | पटना | 1025 |
|  | पंजाब और हरियाणा | 1018 |
|  | सिक्किम | 15 |
|  | उत्तराखंड | 185 |
|  | त्रिपुरा | 62 |
|  | मणिपुर | 30 |
|  | मेघालय | 27 |
|  | **कुल** | **16089** |

(iii) मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस 2.0) का एक नया और प्रयोक्‍ता-मित्र संस्‍करण विकसित कर लिया गया है और सभी कम्‍पयूटरीकृत जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में अभिनियोजित है

(iv) जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के लिए राष्‍ट्रीय न्‍यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) ऑन लाइन मंच के रुप में सृजित किया गया है जो अब देश के 16,089 कंप्‍यूटरीकृत जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों की न्‍यायिक कार्रवाइयों/विनिश्‍चयों से संबंधित सूचना प्रदान करता है । पोर्टल मुवक्‍किलों को ऑन लाइन सूचना जैसे कि मामला रजिस्‍ट्रीकरण के ब्‍यौरे, मामला सूची, मामला प्रास्‍थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय प्रदान करता है । वर्तमान में, मुवक्‍किल 10.1 करोड़ से अधिक मामलों और 6.90 करोड़ से अधिक आदेशों/विनिश्‍चयों के संबंध में मामला प्रास्‍थिति सूचना प्राप्‍त कर सकते हैं ।

(v) सभी कंप्‍यूटरीकृत अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में मुवक्‍किलों/वकीलों द्वारा याचिकाओं और आवेदनों को दाखिल करने के लिए एकल खिड़की के रुप में कार्य करने के लिए और चालू मामलों की सूचना तथा आदेशों और निर्णयों आदि की प्रतियां प्राप्‍त करने के लिए स्‍थापित किए गए हैं ।

(vi) ई-न्‍यायालय मोबाइल ऐप क्‍यूआर कोड सुविधा के साथ तारीख 22 जुलाई, 2017 को मुवक्‍किलों और वकीलों के उपयोग के लिए शुरु किया गया था । विभिन्‍न शीर्षकों अर्थात् सीएनआर आर द्वारा खोज, मामला प्रास्‍थिति, मामला सूची और मेरा मामला के अधीन सेवाएं इस उपयोजन पर उपलब्‍ध है जो गूगल प्‍ले और एप्‍पल स्‍टोर दोनों पर उपलब्‍ध है ।

(vii) इसके अतिरिक्‍त, एसएमएस के माध्‍यम से मामला सूचना सेवाओं को प्रदान करने के लिए सुविधा लागू की गई है और प्रणाली जनित एसएमएस प्रसार की प्रक्रिया परिचालित है ।

दूसरे चरण के दौरान आज तारीख तक लगभग ई ताल पोर्टल द्वारा ई-न्‍यायालयों के लिए 124.98 करोड़ इलैक्‍ट्रानिक संव्‍यवहार अभिलिखित किए गए हैं ।

आई सी टी समर्थता, न्‍यायालयों की कार्यप्रणाली को दक्ष और पारदर्शी बनाती है जिसका न्‍याय प्रदान प्रणाली पर संपूर्ण सकारात्‍मक प्रभाव है । आईसीटी प्रणाली न्‍यायिक अधिकारी और उसके कर्मचारियों को दक्ष रुप से मामला भार संभालने और आबंटित करने के लिए उपयोग की जा सकती है तथा समान तारीखों पर समय लगने वाले मामलों को सूचीबद्ध किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा, इस प्रकार न्‍यायालय के समय का दक्षतापूर्ण उपयोग करना अनुज्ञात करती है । एनजेडीजी का विश्‍लेषणात्‍मक औजार नियम बनाने में न्‍यायिक प्रबंधन की सहायता करने और न्‍यायालयों द्वारा उसके कठोर अनुपालन की मानीटरी करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है । एनजेडीजी इस प्रकार न केवल न्‍यायालय की सूचना का अधीक्षण करने और उसकी व्‍यवस्‍था करने तथा पारदर्शिता को प्रोन्‍नत करने का औजार है बल्‍कि यह इलैक्‍ट्रानिक मामला प्रबंधन को प्रारंभ करने और न्‍यायालय स्‍वचलीकरण से लाभ प्राप्‍त करने की क्रिया विधि भी है । न्‍यायालयों और कारागारों के मध्‍य प्रतिप्रेषण कार्रवाइयों के लिए विडियो कान्‍फ्रैसिंग न्‍यायिक समय की बचत करता है । न्‍यायालयों में ई-न्‍यायालय सुविधा इस प्रकार पारदर्शी और दक्ष न्‍यायिक कार्रवाइयों और डिजाटाइज्‍ड मामला अभिलेखों, कार्य प्रवाह प्रबंधन के स्‍वचलीकरण, न्‍यायालय आदेशों के पारेषण में देरी के उन्‍मूलन, बेहतर साधन प्रबंधन पालन प्रबंधन और मानीटरी के लिए समर्थ करने के माध्‍यम से मामलों के पारदर्शी और शीघ्र विचारण में सहायता करता है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*